न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 100/2017 **दायरा दिनांक : 06.07.2017**

उनवान

भारतीय दलित साहिय अकादमी जिलाध्यक्ष बाबूलाल निर्मल पुत्र श्री मथुरालाल, जाति मेघवाल, निवासी गायत्री नगर अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— जिला वन मण्डल अधिकारी महोदय, कोटा रोड बारां जिला बारां

2— क्षेत्रीय वन अधिकारी, अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां

3— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां

4— सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत खेडलीगंज अटरू पं0 सं0 अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री रघुवीर मीणा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 09.04.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 95/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.03.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गायत्रीनगर, खेडलीगंज, अटरू में वन विभाग के ग्राम रतनपुरा के खसरा नम्बर 845 रकबा 7.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 847 रकबा 6.71 हेक्टर, खसरा नम्बर 29 रकबा 10.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 183 रकबा 17.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 815 रकबा 1.84 हेक्टर, खसरा नम्बर 844 रकबा 9.23 हेक्टर, कुल 7 किता की 61.53 हेक्टर व ग्राम खेडलीगंज के खसरा नम्बर 384/431 रकबा 1.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 386 रकबा 3.94 हेक्टर, खसरा नम्बर 387 रकबा 4.94 हेक्टर, खसरा नम्बर 388 रकबा 1.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 391 रकबा 0.27 हेक्टर कुल 5 किता की 12.08 हेक्टर आराजी स्थित है । दोनों गांवों में कुल 12 किता की 73.61 हेक्टर आराजी वन विभाग के खाते में दर्ज है, जिसमें सैकडों मकानात बने है जिसमें से अधिकाश व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग व मजदूर तबके के हैं । आराजी के सैटलमेंट से पूर्व किस्म बंजड दोयम थी । सन् 1965 के बाद ग्राम पंचायत खेडलीगंज एवं रतनपुरा की ग्राम पंचायत के पट्टे के आधार पर लोगों ने मकान बनाना प्रारम्भ किये । इसमें सैकडों मकान बनाये गये हैं तब राजस्व विभाग एवं वन विभाग ने कोई आपत्ति नहीं की है और दिनांक 19.09.1993 में राज्य सरकार ने राज पत्र में यह दर्शाया है कि इस वन भूमि और बंजड भूमि को संरक्षित घोषित करने का राज्य सरकार विचार रखती है । सन् 1994 में वन विभाग घोषित किया गया । आराजी में 1159 परिवारों के मकान है जिन्हें अपरिमित क्षति होगी । अतः दावा वादी डिक्री कर प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये कि वे

वादीगण को बेदखल न करें और इस आराजी को आबादी में सम्परिवर्तित किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.03.2017 को दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी में मकानात बने हुए हैं जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं मजदूर वगै के व्यक्ति निवास करते हैं । उनके पास कोई रिहायसी मकान नहीं हैं । 1159 परिवार 30–40 वर्ष से यहां निवास कर रहे हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के सदस्य हैं । वादग्रस्त आराजी में उनके मकानात बने हुए हैं । अतः आराजी को आबादी में सम्परिवर्तित किया जाकर रेस्पोडेंटगण प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वन विभाजन की है जिस पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी वन विभाग के खाते में दर्ज है और वन विभाग के खाते में दर्ज आराजी पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । वादी अपीलांटगण का दावा मेंटेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से उसको खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.03.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा